प्रारंभिक परीक्षा

रॉटन फ्री-टेल्ड बैट (Wroughton's free-tailed Bat)

संदर्भ

हाल ही में दिल्ली के यमुना जैव विविधता पार्क में दुर्लभ प्रजाति का चमगादड़ रॉटन फ्री-टेल्ड बैट देखा गया।

रॉटन फ्री-टेल्ड बैट(चमगादड़) के बारे में -

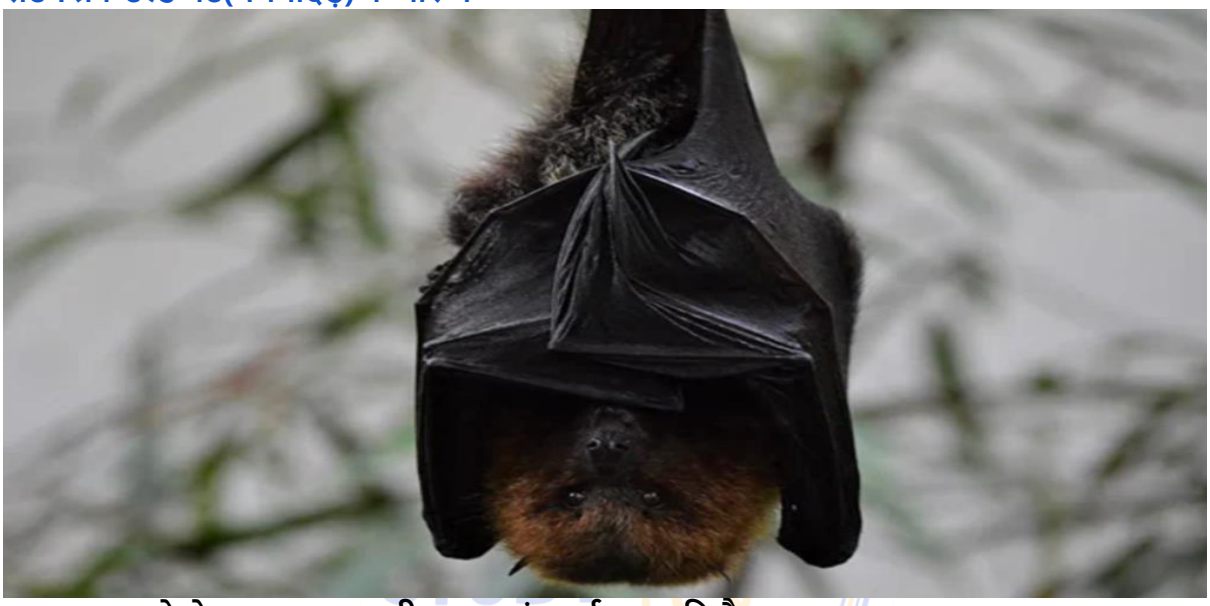

- **यह मोलोसस चमगादड़ की एक अत्यंत दुर्लभ प्रजाति है।**
- **विशेषताएँ:**
    - **शारीरिक बनावट:** बड़ा आकार, थूथन से आगे तक फैले बड़े कान और दो रंगों वाला मखमली फर।
    - यह भोजन की तलाश (खोज) करते समय लंबी दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम है।
    - **पारिस्थितिक महत्व:** परागण में सहायता करता है।
- **वितरण:** यह प्रजाति विश्वभर में केवल तीन स्थानों पर पाई/देखी गई है:
    - **पश्चिमी घाट** में एकल प्रजनन कॉलोनी।
    - **मेघालय के जैंतिया हिल्स** में छोटी कॉलोनियाँ।
    - **कंबोडिया** में एक एकल चमगादड़ दर्ज किया गया था।
- **संरक्षण की स्थिति:**
    - **आईयूसीएन:** डेटा अपर्याप्त
    - **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972:** अनुसूची I।

चमगादड़ से संबंधित मुख्य तथ्य

- चमगादड़ों को 2 उपसमूहों में वर्गीकृत किया गया है:
  - **मेगाबैट (फल चमगादड़):** आकार में बड़े और मुख्य रूप से फलभक्षी।
  - **माइक्रोबैट:** छोटे, मुख्यतः कीटभक्षी या मांसाहारी।
- **उड़ान: चमगादड़ एकमात्र उड़ने वाले स्तनधारी हैं।** उनके पंख लचीली झिल्ली वाले संशोधित अग्रपाद हैं।
- सर्दियों में चमगादड़ **शीत निद्रा(hibernation) में चले जाते हैं।**
- अधिकांश चमगादड़ **रात्रिचर प्रजातियाँ हैं (रात में जागने वाली)। (सभी चमगादड़ रात्रिचर नहीं होते)**
- चमगादड़ अश्रव्य ऊंची आवाजें निकालकर और उसकी गूँज सुनकर अपने शिकार (कीड़ों) का पता लगाते हैं। इसे **इकोलोकेशन(echolocation)** कहा जाता है।
- **पारिस्थितिक महत्व:**
  - **परागण और बीज फैलाव:** कई फल चमगादड़ उष्णकटिबंधीय पौधों के प्रमुख परागणकर्ता हैं, जिनमें केले, आम और ड्यूरियन शामिल हैं। वे लंबी दूरी तक बीज फैलाकर **पुनर्वनीकरण में सहायता करते हैं।**
  - **कीट नियंत्रण:** कीटभक्षी चमगादड़ बड़ी संख्या में कृषि कीटों को खा जाते हैं, जिससे कीटनाशकों की आवश्यकता कम हो जाती है। **एक चमगादड़ प्रति घंटे 1,000 कीटों तक खा सकता है।**

यूपीएससी पीवाईक्यू

प्र. निम्नलिखित पर विचार कीजिए: (2014)

1. चमगादड़
2. भालू
3. कृंतक

उपर्युक्त में से किस प्रकार के जानवरों में शीतनिद्रा की घटना देखी जा सकती है?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) 1, 2 और 3
(d) उपरोक्त में से किसी में भी हाइबरनेशन नहीं देखा जा सकता

उत्तर: (**c**)

स्रोत:

- [इंडियन एक्सप्रेस - यमुना जैव विविधता पार्क में चमगादड़ की दुर्लभ प्रजाति देखी गई]

आर्कटिक टुंड्रा जितना कार्बन अवशोषित करता है, उससे अधिक उत्सर्जित क्यों कर रहा है?

संदर्भ

नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) के नवीनतम आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड के अनुसार, **आर्कटिक टुंड्रा कार्बन सिंक से कार्बन उत्सर्जक में परिवर्तित हो गया है।**

आर्कटिक टुंड्रा के बारे में -

- **यह एक विशाल, वृक्षविहीन बायोम है जिसकी विशेषता इसका ठंडा, शुष्क और चट्टानी इलाका है।**
- **स्थान**: यह सबसे उत्तरी बायोम है, जो आर्कटिक सर्कल के उत्तर से लेकर ध्रुवीय हिमआवरण तक के क्षेत्रों को कवर करता है। यह टैगा (बोरियल वन) और आर्कटिक महासागर के बीच स्थित है।
- **पर्माफ्रॉस्ट:** यह स्थायी रूप से जमी हुई मिट्टी को संदर्भित करता है। गर्मियों के दौरान, केवल ऊपरी परत पिघलती है, जबकि गहरी परतें जमी रहती हैं।
    - जमी हुई परत पौधों की जड़ों की वृद्धि को रोकती है और वृक्षों की वृद्धि को रोकती है, जिसके परिणामस्वरूप वृक्षविहीन परिदृश्य बनता है।
- **मिट्टी की संरचना:** टुंड्रा की मिट्टी चट्टानी और कम अपघटन दर के कारण पोषक तत्वों से रहित है। कार्बनिक पदार्थ पीट और ह्यूमस (कार्बनिक पदार्थ) के रूप में जमा होते हैं, जिससे यह एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक बन जाता है।
- **पशु:** यह कई जानवरों का घर है, जिनमें शाकाहारी जानवर जैसे लेमिंग, आर्कटिक खरगोश, गिलहरी और मांसाहारी जानवर जैसे आर्कटिक लोमड़ी, भेड़िये और ध्रुवीय भालू शामिल हैं।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- **आर्कटिक टुंड्रा में कार्बन भंडारण:**
    - आर्कटिक टुंड्रा कार्बन को पर्माफ्रॉस्ट में संग्रहीत करता है, मिट्टी की एक परत जो लगातार कम से कम 2 वर्षों तक जमी रहती है।
    - ठंड की स्थितियाँ कार्बनिक पदार्थों के अपघटन को रोकती हैं, कार्बन को सहस्राब्दियों तक फँसाए रखती हैं।
    - आर्कटिक मिट्टी में 1.6 ट्रिलियन मीट्रिक टन से अधिक कार्बन होता है, जो वायुमंडल में कार्बन की मात्रा से दोगुना है।
- **कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि के कारण**
    - **बढ़ता तापमान:** आर्कटिक क्षेत्र **वैश्विक औसत से 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है।**
        - 2024 में आर्कटिक में सतही वायु का तापमान 1900 के बाद से दूसरा सबसे गर्म होगा।
    - **पर्माफ्रॉस्ट को पिघलाना:** यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पर्माफ्रॉस्ट में बर्फ पिघलती है, और मिट्टी और पानी पीछे रह जाती है। यह मिट्टी में रोगाणुओं को सक्रिय करता है, कार्बनिक पदार्थों को तोड़ता है और **CO**2 और मीथेन (**CH**4) छोड़ता है।
        - CH4, CO2 की तुलना में अधिक शक्तिशाली GHG है। (तीव्र तापन)
    - **वन अग्नि में वृद्धि:** हाल के वर्षों में आर्कटिक क्षेत्र में वन अग्नि की घटनाएं लगातार और तीव्र होती जा रही हैं।
        - **2024 वन अग्नि उत्सर्जन के लिए दूसरा सबसे बड़ा वर्ष था**, और 2023 में वन्य अग्नि का सबसे खराब मौसम रिकॉर्ड किया गया था।
        - वन अग्नि से ग्रीनहाउस गैसें निकलती हैं और पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने की प्रक्रिया तेज हो जाती है।

- **शुद्ध कार्बन हानि**: 2001 और 2020 के बीच, आर्कटिक टुंड्रा ने अपने पौधों द्वारा अवशोषित की तुलना में अधिक कार्बन छोड़ा, संभवतः सहस्राब्दियों में पहली बार।

स्रोत:

- **इंडियन एक्सप्रेस - आर्कटिक टुंड्रा जितना कार्बन अवशोषित करता है, उससे ज़्यादा क्यों उत्सर्जित कर रहा है**

बिटकॉइन रणनीतिक रिज़र्व(Bitcoin Strategic Reserve)

संदर्भ

नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा अमेरिकी बिटकॉइन रणनीतिक रिज़र्व बनाने की योजना दोहराए जाने के बाद बिटकॉइन रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुँच गया है।

रणनीतिक रिज़र्व के बारे में -

- **रणनीतिक रिज़र्व एक महत्वपूर्ण संसाधन का भंडार है जिसे संकट या आपूर्ति में व्यवधान के समय जारी किया जा सकता है।**
- **उदाहरण के लिए, अमेरिकी रणनीतिक पेट्रोलियम रिज़र्व**, विश्व में आपातकालीन कच्चे तेल की सबसे बड़ी आपूर्ति, जिसे 1973-74 के अरब तेल प्रतिबंध के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचने पर 1975 में कांग्रेस के एक अधिनियम द्वारा बनाया गया था।

अन्य देशों के रणनीतिक रिज़र्व

- **भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम रिज़र्व (SPRs):** तेल भंडार का संग्रह जिसका उपयोग सरकार वैश्विक तेल बाजार में आपूर्ति व्यवधानों के परिणामस्वरूप कर सकती है।
  - भारत के **SPRs** की कुल क्षमता **5.33 मिलियन मीट्रिक टन** (एमएमटी) कच्चे तेल की है।
  - **स्थान**: विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादुर।
  - **निर्माणाधीन**: चंडीखोल (ओडिशा) और पादुर-II (कर्नाटक)
- **कनाडा**: इसके पास **मेपल सिरप का विश्व का एकमात्र रणनीतिक रिज़र्व है।**
- **चीन**: इसके पास पेट्रोलियम, धातु, अनाज और यहाँ तक कि पोर्क उत्पादों के रणनीतिक रिज़र्व भी हैं।

- **बिटकॉइन रिज़र्व की कार्यप्रणाली**:
  - **स्थापना**: वर्तमान में यह स्पष्ट नहीं है कि इसके लिए कार्यकारी शक्तियों या कांग्रेस की मंजूरी की आवश्यकता होगी या नहीं। कुछ लोग **यू.एस. ट्रेजरी के एक्सचेंज स्थिरीकरण कोष** के माध्यम से बिटकॉइन का प्रबंधन करने के लिए एक कार्यकारी आदेश का सुझाव देते हैं।
  - **रिज़र्व की संरचना**: इसमें सरकार द्वारा आपराधिक व्यक्तियों से जब्त किए गए बिटकॉइन शामिल हो सकते हैं। यह लगभग 200,000 टोकन है, जिसकी कीमत वर्तमान मूल्य पर लगभग 21 बिलियन डॉलर है।
- **ऐसे रिज़र्व के लाभ**:
  - **वैश्विक बाजार प्रभुत्व**: इससे वैश्विक बिटकॉइन बाजार पर अमेरिकी नियंत्रण बढ़ेगा, विशेष रूप से चीन जैसे प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ।
  - **आर्थिक लाभ**: अमेरिकी राजकोषीय घाटे को कम कर सकता है और अमेरिकी डॉलर को मजबूत कर सकता है।
- **जोखिम**:
  - **अस्थिर प्रकृति**: बिटकॉइन का मूल्य अस्थिरता और आंतरिक उपयोग की कमी के कारण अनिश्चित है।
  - **सुरक्षा**: साइबर हमलों और बाजार में उतार-चढ़ाव के प्रति भेद्यता।

स्रोत:

- [इंडियन एक्सप्रेस - अमेरिका का रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व कैसे काम कर सकता है]

क्या विपक्ष को 'जीत' मिली, जब सरकार ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक पेश किया?

संदर्भ

विपक्षी सदस्यों की कड़ी आपत्तियों के बीच "एक राष्ट्र, एक चुनाव" को लागू करने संबंधी विधेयक लोकसभा में मतविभाजन के बाद पेश किये गये।

संशोधन प्रक्रिया (अनुच्छेद - 368)

- **विधेयक का प्रस्तुतीकरण** :
    - संसद की विशेष शक्ति, संसद के किसी भी सदस्य द्वारा संसद के किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है।
        - राज्य विधानसभाओं को ऐसा विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है।
- **संसद में विधायी प्रक्रिया:** विधेयक को **प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए,** जो सदन की कुल सदस्यता का बहुमत **तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से होना चाहिए।**
    - संविधान संशोधन विधेयक को **प्रत्येक सदन द्वारा अलग-अलग पारित किया जाना चाहिए। (संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है)**
- **राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन**: यदि विधेयक **संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है,** तो उसे **आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थित किया जाना चाहिए।**
- **राष्ट्रपति की स्वीकृति:** संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। वह **विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक नहीं सकते या उसे पुनर्विचार के लिए संसद को वापस नहीं भेज सकते है।**
    - **24वें संविधान संशोधन के तहत** राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया।
- **भारतीय संविधान में तीन अलग-अलग तरीकों से संशोधन किया जा सकता है**:
    - **साधारण बहुमत से संशोधन** - विधान परिषदों का निर्माण और समाप्ति, नए राज्य का गठन आदि।
    - **संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन** - मौलिक अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों आदि में परिवर्तन।
    - **संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन** - राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया, संघ और राज्यों, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के बीच विधायी कार्यों का वितरण आदि।

संशोधन प्रक्रिया से संबंधित नियम (लोकसभा)

- **नियम 157:**
    - विधेयक पर विचार करने के लिए सदन के कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।
    - विधेयक को प्रवर या संयुक्त समिति को भेजने अथवा विधेयक को विभिन्न चरणों में पारित कराने के लिए भी साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है।
- **नियम 158 - विभाजन मतदान:**
    - विभाजन द्वारा मतदान या मतविभाजन तब होता है जब किसी प्रस्ताव को कुल सदस्यता के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक हो।

- मतविभाजन के परिणाम यह निर्धारित करते हैं कि प्रस्ताव पारित होगा या नहीं।

क्या आप जानते हैं

- **संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।**
- साधारण बहुमत से किये गये संवैधानिक संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत शामिल नहीं किये जाते हैं।

स्रोत:

- **इंडियन एक्सप्रेस - क्या विपक्ष को 'जीत' मिली, जब सरकार ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक पेश किया?**

अल्पसंख्यक अधिकारों पर संविधान

संदर्भ

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने **18 दिसंबर, 1992** को **'राष्ट्रीय या जातीय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों' पर एक घोषणा** को अपनाया। इसके बाद **18 दिसंबर को पूरी दुनिया में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है।**

अल्पसंख्यक अधिकारों की ऐतिहासिक उत्पत्ति -

- **ऑस्ट्रिया (1867):** जातीय अल्पसंख्यकों को अपनी राष्ट्रीयता और भाषा बनाए रखने के अधिकार को मान्यता दी गई।
- **स्विस परिसंघ संविधान (1874):** सिविल सेवाओं, अदालतों और कानून में देश की तीन भाषाओं के लिए समान अधिकार।
- **प्रथम विश्व युद्ध के बाद की संधियाँ**: पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया जैसे देशों के साथ समझौतों में अल्पसंख्यक संरक्षण खंड शामिल किए गए।
- **मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948):**
    - **अनुच्छेद 27:** व्यक्तियों के अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक मंचों में भागीदारी के अधिकार को मान्यता देता है।

भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों से संबंधित प्रावधान

- **अनुच्छेद 29:** सभी नागरिकों को अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा या लिपि को संरक्षित करने का अधिकार देता है।
    - अल्पसंख्यक संस्कृतियों को संरक्षित करने के लिए बहुसंस्कृतिवाद और व्यक्तिगत अधिकारों को स्वीकार करता है।
- **अनुच्छेद 30:** धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है।
    - **अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मामला (2024):** इस अधिकार का विस्तार राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों तक किया गया।
- **अनुच्छेद 350 A:** प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा।
- **अनुच्छेद 350 B:** भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति।

अल्पसंख्यक –परिभाषा

- संविधान में **अल्पसंख्यक** शब्द का प्रयोग 4 स्थानों पर किया गया है, लेकिन इस शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है।
    - **न्यायिक व्याख्या:** सर्वोच्च न्यायालय ने **टीएमए पाई फाउंडेशन (2002)** जैसे मामलों में राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों को परिभाषित किया है। उदाहरण के लिए पंजाब और उत्तर-पूर्वी राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक माना जाता है।
- **अल्पसंख्यक संस्थानों को परिभाषित करना**:
    - **टीएमए पाई फाउंडेशन केस (2002):** अल्पसंख्यक संस्थानों के संकेतक को अपरिभाषित छोड़ दिया गया।
    - **अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मामला (2024):**
        - अल्पसंख्यक संस्थाओं को परिभाषित करने के लिए व्यापक, समग्र संकेतक।
        - मुख्य विचार: संस्थापक का इरादा, वित्तपोषण और पहल अल्पसंख्यक समुदाय से होनी चाहिए।

स्रोत:

- द हिन्दू - अल्पसंख्यक अधिकारों पर संविधान

राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं में सुधार

संदर्भ

इसरो के पूर्व प्रमुख के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने NEET, CUET और यूजीसी-नेट जैसी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं के संचालन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए बड़े सुधारों का प्रस्ताव दिया है।

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी(National Testing Agency) के बारे में -

- **इसकी स्थापना 2017 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत एक विशेषज्ञ, आत्मनिर्भर और स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी।**
- यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है।
- इसका नेतृत्व केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त महानिदेशक करता है।
- यह प्रवेश और भर्ती के लिए प्रवेश परीक्षा और मूल्यांकन आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है
- **NTA द्वारा आयोजित परीक्षाएं:** जेईई (मेन), एनईईटी-यूजी, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (सीएमएटी), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी-नेट) आदि।

समिति की प्रमुख सिफारिशें

- **चुनाव की तरह परीक्षाएं आयोजित करना:**
  - केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए, राज्य प्रशासनिक मशीनरी का उपयोग करते हुए, ठीक उसी तरह जैसे चुनाव कराए जाते हैं।
  - प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर NTA द्वारा नियुक्त एक पीठासीन अधिकारी होना चाहिए, जो यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हो कि परीक्षा में पूर्वनिर्धारित प्रोटोकॉल का पालन हो, ठीक वैसे ही जैसे चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर होता है।
- **परीक्षा केंद्रों का सख्त प्रबंधन**:
  - परीक्षा केंद्रों को निर्धारित परीक्षा से पहले जिला अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी में सील कर दिया जाना चाहिए।
  - इन्हें परीक्षा के दिन पुनः खोले जाने तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए स्ट्रांग रूम की देखभाल की जाती है।
- **परीक्षा केन्द्र का चयन:**
  - जिला समितियों को पिछले रिकार्ड, केंद्र के प्रबंधन की प्रतिष्ठा और संभावित जोखिमों के बारे में खुफिया जानकारी के मूल्यांकन के बाद केंद्रों का चयन करना होगा।
- **समन्वय समितियों का गठन:**
  - **राज्य स्तरीय समितियां:** मुख्य सचिव द्वारा नामित नोडल अधिकारी की अध्यक्षता वाली इन समितियों में राज्य पुलिस, NTA, खुफिया ब्यूरो (आईबी) और एनआईसी के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
  - **जिला स्तरीय समितियाँ:** पुलिस प्रमुख सहित जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में।
- **डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार:**
  - कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने के लिए टीसीएस आईओएन जैसी निजी एजेंसियों पर निर्भरता कम करना।
  - केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों जैसे केन्द्र द्वारा संचालित विद्यालयों के डिजिटल बुनियादी ढांचे को उन्नत करना ताकि वे विश्वसनीय परीक्षण केन्द्र बन सकें।
- **डिजी-एग्जाम प्रणाली लागू करना:**
  - डिजीयात्रा मॉडल से प्रेरित यह प्रणाली अभ्यर्थियों का सत्यापन सुनिश्चित करेगी।
  - अभ्यर्थियों का प्राथमिक डेटा आवेदन के समय एकत्र किया जाएगा, जबकि बायोमेट्रिक डेटा परीक्षा शुरू होने से पहले सत्यापित किया जाएगा।

- **निगरानी और सुरक्षा बढ़ाना:**
    - **प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट की सुरक्षा:** NTA अधिकारी परीक्षा समाप्त होने तक प्रश्न पत्रों और ओएमआर शीट की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे।
    - **सीसीटीवी निगरानी:** परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों पर सीसीटीवी के माध्यम से लगातार नजर रखी जाएगी।

स्रोत:

- **इंडियन एक्सप्रेस - पैनल ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रवेश परीक्षाओं के लिए मतदान-शैली की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा**

समाचार संक्षेप में

वृक्ष देवी के रूप में जानी जाने वाली पर्यावरणविद् तुलसी गौड़ा का निधन

- **उनका जन्म कर्नाटक के अंकोला तालुक के होन्नाली गांव में हुआ था। वह स्वदेशी हलाक्की जनजाति की सदस्य थीं।**
- उन्हें 'जंगल का विश्वकोश(encyclopedia of forest)' के रूप में जाना जाता था।
- **2021 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया।**
- उन्हें पूरे कर्नाटक में 1 लाख से अधिक पेड़ लगाने और उनका पालन-पोषण करने का श्रेय दिया गया है

स्रोत:

- इंडियन एक्सप्रेस - तुलसी गौड़ा का 86 वर्ष की आयु में निधन

म्यांमार विद्रोहियों ने 30 साल बाद मुख्यालय पर फिर से कब्ज़ा किया

- **मानेरप्लॉ पर पुनः कब्ज़ा:** कई दिनों की भीषण लड़ाई के बाद KNU ने थाई सीमा के पास स्थित मानेरप्लॉ पर पुनः कब्ज़ा कर लिया। यह कभी KNU का मुख्यालय हुआ करता था।
- **करेन नेशनल यूनियन (KNU) के बारे में:**
  - इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, म्यांमार को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिलने के तुरंत बाद।
  - इसका गठन करेन लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया था, जो म्यांमार के मूल निवासी एक जातीय समूह हैं, जो मुख्य रूप से देश के दक्षिण-पूर्वी भाग में थाईलैंड की सीमा के पास स्थित हैं।
  - प्रारंभ में, KNU ने एक स्वतंत्र करेन राज्य के निर्माण की मांग की थी, लेकिन समय के साथ, इसकी मांग संघीय म्यांमार के भीतर राजनीतिक स्वायत्तता की मांग में बदल गई।

स्रोत:

- द हिन्दू - म्यांमार विद्रोहियों ने 30 साल बाद मुख्यालय पर फिर से कब्ज़ा किया

संपादकीय सारांश

कक्षा में अत्यधिक समय - छात्र, शिक्षक, NEP 2020

संदर्भ

- भारतीय उच्च शिक्षा के छात्र यूरोपीय संघ और उत्तरी अमेरिका के अपने साथियों की तुलना में कक्षा में काफी अधिक समय बिताते हैं, फिर भी उन्हें तुलनात्मक रूप से कम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का जोखिम रहता है।
- यह काफी हद तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 द्वारा पेश किए गए दो कारकों के कारण है: कोर्स क्रेडिट के भीतर शिक्षण समय पर अधिक जोर और प्रति सेमेस्टर कोर्स का अधिक भार।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020: उच्च शिक्षा

- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 का लक्ष्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) को 2018 में 26.3% से लगभग दोगुना करके 2035 तक 50% करना है, साथ ही उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) की गुणवत्ता बढ़ाना और भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करना है।**
- एक महत्वपूर्ण बदलाव **भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) की स्थापना होगी**, जो संपूर्ण उच्च शिक्षा क्षेत्र की देखरेख करने वाले एकल नियामक संस्था के रूप में काम करेगा।
    - HECI स्वतंत्र निकायों के माध्यम से मान्यता, वित्त पोषण और शैक्षणिक मानकों को स्थापित करने जैसे विभिन्न कार्यों का प्रबंधन करेगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) जैसी मौजूदा नियामक संस्थाओं को प्रतिस्थापित करेगा।

Serial No	HECI Vertical	Function
1	National Higher Education Regulatory Council (NHERC)	Creating and Implementing Higher Education regulation
2	General Education Council (GEC)	Standard setting for academia
3	Higher Education Grants Council (HEGC)	For funding academic and research activities
4	National Accreditation Council (NAC)	Accreditation to academic institutions

NEP 2020 की मुख्य विशेषताएं

- **व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण**: सुनिश्चित करना कि 2025 तक 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का लाभ मिले।
- **इक्विटी और समावेशन:** वंचित क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना, जिसमें 2030 तक प्रत्येक जिले में कम से कम एक बहु-विषयक HEI शामिल हो।
- **बहुविषयक शिक्षक शिक्षा:** एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में परिवर्तन, जिससे 2030 तक चार वर्षीय बी.एड. न्यूनतम योग्यता बन जाएगी।
- **संस्थागत स्वायत्तता**: स्वतंत्र बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (BoG) के माध्यम से संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करना; संबद्ध कॉलेज प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना।

- **व्यावसायिक संस्थान रूपांतरण:** 2030 तक एकल व्यावसायिक संस्थानों को बहु-विषयक उच्च शिक्षा संस्थानों में रूपांतरित करना, जिनमें छात्र संख्या 3,000 से अधिक हो।
- **त्रि-स्तरीय प्रणाली:** 2035 तक मान्यता और डिग्री प्रदान करने की स्वायत्तता के साथ अनुसंधान विश्वविद्यालयों, शिक्षण विश्वविद्यालयों और स्वायत्त कॉलेजों की त्रि-स्तरीय प्रणाली विकसित करना।
- **बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा देना**: उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या बढ़ाना और बहुविषयक शिक्षण दृष्टिकोण को बढ़ावा देना।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- **संकाय (फैकल्टी) कैरियर विकास**: शिक्षण, अनुसंधान और नेतृत्व भूमिकाओं के माध्यम से संकाय पदोन्नति के लिए स्पष्ट मार्ग प्रदान करना।
- **लचीला पाठ्यचर्या ढांचा**: आजीवन सीखने के अवसरों को सक्षम करने के लिए कई प्रवेश और निकास बिंदु की पेशकश करें।
- **ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा**: पहुंच, समानता और समावेशन को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) पर जोर दें।
- **अनुसंधान वित्तपोषण**: उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को वित्तपोषित करने और समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना करें।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही**: संस्थागत जानकारी के अधिक प्रकटीकरण के माध्यम से सार्वजनिक निगरानी को बढ़ाना।

विभिन्न मुद्दे क्या हैं?

- **कक्षा में अत्यधिक समय**: **NEP** 2020 के तहत भारतीय छात्र कक्षा में प्रति सप्ताह 20 घंटे बिताते हैं, जबकि यूरोपीय संघ और उत्तरी अमेरिकी छात्र 12 घंटे बिताते हैं।
    - इससे स्व-अध्ययन, पढ़ने और असाइनमेंट के लिए बहुत कम समय बचता है, जिससे थकावट होती है और सीखने की क्षमता कम हो जाती है।
- **मूल्यांकन संबंधी चुनौतियाँ**: कक्षा के समय में वृद्धि के परिणामस्वरूप कोर्स के भीतर व्यवहार्य आकलन में कमी आई है:
    - इससे पहले, प्रति सेमेस्टर चार कोर्स वाले तीन वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के तहत, निरंतर मूल्यांकन के लिए अधिक समय था।
    - नई संरचना के साथ, छात्रों को प्रति कोर्स दो से अधिक एसेसमेंट पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, अक्सर वे टर्म पेपर या विचारशील निबंध जैसे अधिक व्यापक मूल्यांकन की तुलना में बहुविकल्पीय प्रश्नों जैसे सरल प्रारूपों को प्राथमिकता देते हैं।
- **रटने की आदत को प्रोत्साहित करना**: स्व-निर्देशित सीखने के लिए सीमित समय रटने की आदत को बढ़ावा देता है, स्कूल जैसी गतिशीलता को दोहराता है जहाँ छात्र ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता बने रहते हैं।
- **सतत आकलन चुनौतियाँ:** सतत आकलन के लिए विविध मूल्यांकन विधियों की आवश्यकता होती है, जिन्हें समय की कमी के कारण लागू करना कठिन होता है।
- **शिक्षण की गुणवत्ता:** भारतीय संकाय (फैकल्टी) कक्षा में प्रति सप्ताह 14-16 घंटे बिताते हैं, जबकि यूरोपीय संघ और उत्तरी अमेरिकी समकक्षों के लिए यह अवधि 9 घंटे है।
    - इससे अनुसंधान, कोर्स विकास और अंतःविषय सहयोग के लिए समय कम हो जाता है, जिससे शिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
- **प्रतिष्ठित और सार्वजनिक संस्थानों के बीच असमानता**: प्रतिष्ठित संस्थानों (आईआईटी, आईआईएम और केंद्रीय विश्वविद्यालय) में अधिक लचीला शिक्षण भार और संसाधन हो सकते हैं।
    - हालाँकि, अधिकांश शिक्षण कार्य उन सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में होता है, जो भारी शिक्षण भार से दबे हुए हैं।

तथ्य

- विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में भारत के केवल 2 विश्वविद्यालय शामिल हैं। (क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार)
  - **आईआईटी बॉम्बे**: 118वां
  - **आईआईटी दिल्ली**: 150वां
- AISHE (2018- 19) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 26.3% का GER हासिल किया है जो वैश्विक औसत GER 36.7% से कम है।

Key differences between the US and Indian education systems

Features	India	United States
Structure of School Education	Follows a 5+3+3+4 system under NEP 2020	Follows a three-tier system: Elementary, Middle, High
Learning Methodology	Traditionally focused on rote learning, with shifts towards critical thinking under NEP 2020	Emphasises hands-on learning, creativity, and critical thinking
Subject Flexibility	Historically rigid, but becoming more flexible with NEP	Highly flexible, allowing students to explore various disciplines
Technology Integration	Developing, with initiatives like "Digital India" but facing unequal access, especially in rural areas	Well-equipped with advanced technology, seamlessly integrated into learning
Cost of Education	Generally affordable in public institutions, though private education can be costly	Significantly higher costs, with students often relying on financial aid and scholarships
Class Sizes and Dress Codes	Larger class sizes, with uniforms typically mandatory	Smaller class sizes, with flexible dress codes
Assessments and Exams	Exam-centric, with an emphasis on memorization, but NEP 2020 aims for experiential learning	Continuous assessment through projects and participation, with less emphasis on high-stakes exams
Higher Education	Theoretical and rigid, with limited international exposure	Broad-based and flexible, with a strong global perspective and international student presence
Technology and Infrastructure	Varies widely; some schools face significant infrastructure challenges	State-of-the-art facilities, extensive resources available in most schools and universities
International Exposure	Limited opportunities for international collaboration	Diverse student population and global partnerships offering international exposure

समाधान

- **पाठ्यक्रम भार पर पुनर्विचार:** प्रति सेमेस्टर पाठ्यक्रमों की संख्या में कमी से, छात्रों पर पड़ने वाला दबाव कम हो सकता है और सामग्री के साथ गहन सहभागिता हो सकती है।
- **स्व-शिक्षण को प्रोत्साहन:** छात्रों को चिंतन एवं स्वतंत्र अध्ययन के लिए पर्याप्त समय प्रदान करने से, उनकी सीखने की प्रक्रिया पर स्वामित्व को बढ़ावा मिल सकता है।
- **विविध मूल्यांकन प्रारूप:** रटकर याद करने के स्थान पर, आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए, मूल्यांकन प्रकारों की एक विस्तृत श्रृंखला को पाठ्यक्रम में एकीकृत किया जाना चाहिए।

स्रोत:

- **द हिंदू: कक्षा में फंसे - छात्र, शिक्षक, NEP 2020**
- **टाइम्स ऑफ इंडिया**

भारत की अनियमित AI निगरानी में कानूनी खामियां

संदर्भ

निगरानी में AI का बढ़ता उपयोग इस बात पर प्रकाश डालता है कि भारत में इसके आसपास के कानूनी ढांचे, खामियों और चिंताओं पर विचार करने की आवश्यकता है तथा यह भी देखना होगा कि ये संवैधानिक अधिकारों, विशेष रूप से निजता के अधिकार के साथ किस प्रकार जुड़े हैं।

भारत में AI निगरानी का उपयोग:

- **2019 में, भारत सरकार ने पुलिसिंग के लिए दुनिया की सबसे बड़ी चेहरे की पहचान प्रणाली बनाने की योजना की घोषणा की।**
- रेलवे स्टेशनों पर AI-संचालित निगरानी प्रणालियां उपयोग में हैं।
- दिल्ली पुलिस अपराध गश्त के लिए AI का उपयोग करने की तैयारी कर रही है।
- योजनाओं में भारत के निगरानी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए **50 AI -संचालित उपग्रहों को लॉन्च करना शामिल है।**

भारत में AI निगरानी से जुड़े मुद्दे क्या हैं?

- **निजता का उल्लंघन:** AI निगरानी प्रणाली **ड्रैगनेट निगरानी** को जन्म दे सकती है, यह एक ऐसा शब्द है जो केवल संदिग्धों या अपराधियों से परे अंधाधुंध डेटा संग्रह को संदर्भित करता है, जो नागरिकों के निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है (अनुच्छेद 21)।
    - **उदाहरण**: हैदराबाद पुलिस ने "समग्र वेदिका" जैसी सामाजिक कल्याण योजनाओं के डेटाबेस तक पहुंच बनाई।
- **आनुपातिक सुरक्षा उपायों का अभाव:** AI-संचालित निगरानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए मौजूदा सुरक्षा उपाय अपर्याप्त हैं।
    - वादा किया गया **डिजिटल इंडिया अधिनियम** (AI को विनियमित करने के लिए) अभी तक साकार नहीं हुआ है।
- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDPA), 2023 में छूट:** धारा 7(g) महामारी के दौरान चिकित्सा डेटा के प्रसंस्करण के लिए सहमति की आवश्यकताओं को माफ करती है, जबकि धारा 7(i) रोजगार से संबंधित डेटा प्रसंस्करण के लिए सरकार को सहमति से छूट देती है।
    - इन छूटों से दुरुपयोग की चिंताएं उत्पन्न होती हैं, विशेष रूप से AI निगरानी प्रौद्योगिकियों के संबंध में, जो विशाल मात्रा में व्यक्तिगत डेटा पर निर्भर करती हैं।
    - नागरिकों को DPDPA के प्रावधानों जैसे धारा 15(c) के तहत अधिक जांच का सामना करना पड़ता है, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि व्यक्तियों को व्यक्तिगत डेटा प्रस्तुत करते समय किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को नहीं छिपाना चाहिए।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव:** कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा डेटा को कैसे एकत्रित, संसाधित, संग्रहीत और संरक्षित किया जाता है, इस पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दिशानिर्देशों का अभाव ।
    - AI प्रौद्योगिकियों के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई स्वतंत्र निगरानी नहीं।
- **भेदभाव और पूर्वाग्रह का जोखिम:** AI निगरानी प्रणालियां एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रहों को कायम रख सकती हैं और कुछ समुदायों को अनुचित तरीके से निशाना बना सकती हैं।
    - ये पूर्वाग्रह समानता और गैर-भेदभाव के सिद्धांतों का उल्लंघन कर सकते हैं।
- **डेटा सुरक्षा चिंताएं:** अपर्याप्त साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे के कारण डेटा उल्लंघन और दुरुपयोग का उच्च जोखिम।
    - **उदाहरण**: तेलंगाना पुलिस डेटा उल्लंघन ने कानून प्रवर्तन डेटा प्रबंधन की कमजोरियों को उजागर कर दिया।

- **नागरिक स्वतंत्रता का हनन:** अनियंत्रित निगरानी से अभिव्यक्ति, संगठन बनाने और आवागमन की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों को खतरा होता है।
    - अत्यधिक निगरानी से लोकतांत्रिक भागीदारी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

वैश्विक तुलना और सर्वोत्तम अभ्यास

यूरोपीय संघ (EU) – आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिनियम

- **जोखिम-आधारित दृष्टिकोण:** AI गतिविधियों को अस्वीकार्य, उच्च, पारदर्शिता और न्यूनतम जोखिम में वर्गीकृत करता है।
- **अस्वीकार्य जोखिम:** सीमित रूप से परिभाषित अपवादों (जैसे, गंभीर अपराधों के पीड़ितों की खोज) को छोड़कर, वास्तविक समय में दूरस्थ बायोमेट्रिक पहचान पर प्रतिबंध लगाता है।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** AI प्रणाली संचालन के स्पष्ट दस्तावेजीकरण और प्रकटीकरण की आवश्यकता है।
    - उच्च जोखिम वाले AI अनुप्रयोगों के लिए नियमित ऑडिट और जोखिम आकलन अनिवार्य है।

संयुक्त राज्य अमेरिका - FISA की धारा 702

- **निरीक्षण तंत्र:** निगरानी कार्यक्रम विदेशी खुफिया निगरानी न्यायालय (एफआईएससी) द्वारा समीक्षा के अधीन हैं।
    - हालाँकि, इस कार्यक्रम को अपने अतिक्रमण और अपर्याप्त सुरक्षा उपायों के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा है।

यूनाइटेड किंगडम – निगरानी कैमरा आचार संहिता

- **सिद्धांत-आधारित विनियमन:** निगरानी गतिविधियाँ न्यायोचित, आनुपातिक और पारदर्शी होनी चाहिए।
    - कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सीसीटीवी और चेहरे की पहचान तकनीक को लागू करने के लिए आचार संहिता का पालन करना आवश्यक है।

भारत में AI निगरानी के लिए प्रस्तावित सुधार

- **व्यापक नियामक ढांचा:** डेटा संग्रह, प्रसंस्करण, भंडारण और विलोपन पर स्पष्ट दिशानिर्देशों के साथ AI - संचालित निगरानी को विनियमित करने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा लागू करना।
    - आवश्यकता, वैधता और आनुपातिकता के सिद्धांतों के साथ संरेखण सुनिश्चित करना।
- **पारदर्शिता और निरीक्षण तंत्र: निम्नलिखित का सार्वजनिक प्रकटीकरण अनिवार्य करना:**
        - कौन सा डेटा एकत्र किया जा रहा है
        - संग्रह का उद्देश्य
        - डेटा प्रतिधारण की अवधि
    - निगरानी गतिविधियों की समीक्षा और अनुमोदन के लिए स्वतंत्र न्यायिक निरीक्षण स्थापित करना।
- **सख्त सहमति आवश्यकताएँ:** डीपीडीपीए के अंतर्गत सहमति के लिए संकीर्ण और विशिष्ट छूट, यह सुनिश्चित करना कि वे अत्यधिक व्यापक या अस्पष्ट न हों।
    - उचित सुरक्षा उपायों के साथ पारदर्शी सहमति-एकत्रीकरण प्रथाओं को लागू करना।
- **जोखिम-आधारित विनियमन:** AI गतिविधियों को वर्गीकृत करने के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाएं (ईयू मॉडल के समान)
- **डेटा संरक्षण और सुरक्षा:** डेटा उल्लंघनों को रोकने के लिए साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।
    - कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा व्यक्तिगत डेटा के अनधिकृत उपयोग या दुरुपयोग के लिए दंड का प्रावधान करना।
- **एल्गोरिदमिक निष्पक्षता और पूर्वाग्रह शमन:** पूर्वाग्रहों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए AI प्रणालियों का नियमित ऑडिट आयोजित करना।
    - सुनिश्चित करना कि निगरानी में प्रयुक्त AI एल्गोरिदम पारदर्शी और व्याख्या योग्य हों ।

- **न्यायिक निरीक्षण और निवारण तंत्र:** AI निगरानी कार्यों के लिए न्यायिक समीक्षा लागू करना।
    - नागरिकों के लिए निगरानी प्रथाओं को चुनौती देने और उल्लंघनों के निवारण हेतु तंत्र बनाएं।

स्रोत: **द हिंदू: भारत की अनियमित AI निगरानी में कानूनी खामियां**

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की चुनौती

संदर्भ

भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) में अक्सर देश की विविध स्वास्थ्य प्रणालियों की जटिलताओं और उनके द्वारा प्रस्तुत अद्वितीय चुनौतियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है।

भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) प्राप्त करने में चुनौतियाँ

- **राज्यों में स्वास्थ्य व्यय में असमानता:** सरकारी स्वास्थ्य व्यय में व्यापक भिन्नता है, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार की तुलना में अधिक खर्च करते हैं।
    - इससे दो स्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण होता है, जहां संसाधन विहीन राज्यों के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक अपर्याप्त पहुंच का सामना करना पड़ता है।
- **उच्च आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE):** सरकारी व्यय में वृद्धि के बावजूद, OOPE उच्च बना हुआ है (पश्चिम बंगाल में 67%, आंध्र प्रदेश में 64%)।
    - OOPE के कारण निम्न आय वर्ग के लोगों को वित्तीय कठिनाई और चिकित्सा संबंधी दरिद्रता का सामना करना पड़ता है।
    - केरल और पंजाब जैसे उच्च व्यय वाले राज्यों को भी प्रणालीगत अकुशलताओं के कारण उच्च OOPE का सामना करना पड़ता है।
- **अपर्याप्त प्राथमिक स्वास्थ्य अवसंरचना:** पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) में 58% की कमी है।
    - इससे रोगों का शीघ्र निदान और प्रबंधन बाधित होता है, तथा महंगी तृतीयक देखभाल पर निर्भरता बढ़ती है।
- **विविध स्वास्थ्य प्रोफाइल और आवश्यकताएं:** किशोर गर्भावस्था दर राज्यों के बीच काफी भिन्न है (पश्चिम बंगाल में 16% बनाम केरल में 2.4%)।
    - पश्चिम बंगाल, बिहार और गुजरात में उच्च रक्त शर्करा जैसी गैर-संचारी बीमारियाँ (एनसीडी) प्रचलित हैं, जिनके लिए विशेष हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
    - सामान्य समाधान इन राज्य-विशिष्ट स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने में विफल रहते हैं।
- **अकुशल स्वास्थ्य प्रणाली डिजाइन:** पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य साथी जैसे कार्यक्रम सार्वजनिक अस्पतालों में कथित कमी की भरपाई करते हैं, लेकिन वास्तविक जरूरतों के साथ संरेखित नहीं होते हैं।
    - सार्वजनिक अस्पतालों में सीजेरियन डिलीवरी की उच्च दर, सार्वजनिक क्षेत्र की अपर्याप्त क्षमता का संकेत देती है, जिससे ऐसी बीमा योजनाएं कम प्रभावी हो जाती हैं।
- **जवाबदेही और निगरानी का अभाव:** पारदर्शी शासन और जवाबदेही तंत्र के अभाव से अकुशलता और संसाधनों का गलत आवंटन होता है।

समाधान

- **प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना को मजबूत करना:** निवारक और बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, विशेष रूप से वंचित ग्रामीण क्षेत्रों में, अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) के निर्माण और स्टाफिंग में निवेश करना।
- **आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE) को कम करना:** नागरिकों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए सार्वजनिक बीमा योजनाओं को वास्तविक स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति के साथ संरेखित करते हुए मुफ्त आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं और दवाओं का विस्तार करना।
- **समतामूलक स्वास्थ्य वित्तपोषण सुनिश्चित करना:** उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे कम संसाधन वाले राज्यों में सरकारी स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि करना, यह सुनिश्चित करना कि प्रति व्यक्ति व्यय UHC (₹2,205) की अनुमानित आवश्यकता को पूरा करता है।

- **राज्य-विशिष्ट स्वास्थ्य रणनीतियाँ:** प्रत्येक राज्य की विशिष्ट स्वास्थ्य प्रोफ़ाइल (जैसे, पश्चिम बंगाल में उच्च किशोर गर्भावस्था की समस्या या गुजरात में मधुमेह प्रबंधन) को ध्यान में रखते हुए अनुरूप स्वास्थ्य योजनाएँ विकसित करना।
- **स्वास्थ्य कार्यबल और प्रौद्योगिकी में निवेश करना:** अधिक स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षित करें और भर्ती करें तथा विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में देखभाल की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार के लिए टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य उपकरणों को एकीकृत करना।

स्रोत: **द हिंदू: सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की चुनौती**

विस्तृत कवरेज

एक राष्ट्र एक चुनाव (एक साथ चुनाव)

संदर्भ

एक साथ चुनाव के लिए एक तंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से दो विधेयक, औपचारिक रूप से लोकसभा में पेश किए गए हैं: संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024।

विधेयकों का विवरण

- वर्तमान में, एक साथ चुनाव नगर निगमों को छोड़कर, केवल संसद और राज्य विधानसभाओं पर लागू होते हैं।
- इन परिवर्तनों को 2034 के चुनाव चक्र के दौरान, यथाशीघ्र लागू किए जाने की उम्मीद है।
- संविधान संशोधन विधेयक यह निर्दिष्ट करता है कि, "राष्ट्रपति इस अनुच्छेद के प्रावधानों को सक्रिय करने के लिए आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तारीख पर एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी कर सकते हैं तथा उस तारीख को नियत तिथि के रूप में संदर्भित किया जाएगा।"

कथन

"हमें उस स्थिति में वापस जाना चाहिए, जहां लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते हैं" - **न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी**

एक साथ चुनाव क्या है?

- **एक साथ चुनाव, जिसे समकालिक चुनाव या एक-राष्ट्र-एक-चुनाव के रूप में भी जाना जाता है, एक ही समय में या एक समकालिक कार्यक्रम पर, सरकार के विभिन्न स्तरों (जैसे- राष्ट्रीय एवं राज्य) के लिए कई चुनाव कराने की प्रथा को संदर्भित करता है।**
- इसका तात्पर्य यह होगा कि मतदाता, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन, एक ही समय (या जैसा भी मामला हो, चरणबद्ध तरीके से) अपना वोट डालेंगे।

भारत में एक साथ चुनावों का इतिहास

- एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा, देश के लिए नई नहीं है।
- भारत के संविधान को अपनाने के बाद, लोकसभा (लोगों का सदन) और सभी विधानसभाओं (राज्य विधान सभाओं) के लिए प्रथम आम चुनाव 1951-52 में, एक साथ आयोजित किये गए थे।
- यह प्रथा वर्ष- 1957, 1962 और 1967 में हुए बाद के तीन आम चुनावों में भी जारी रही।
- यद्यपि, 1968 और 1969 में कुछ राज्य विधानसभाओं के समय से पूर्व भंग हो जाने के कारण, समकालिक चुनावों का चक्र बाधित हो गया। 1970 में लोकसभा को समय से पहले ही भंग कर दिया गया और 1971 में नये चुनाव कराये गये।
- इस प्रकार, 1967 के चुनावों के बाद से, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव की प्रथा को बनाए नहीं रखा जा सका एवं इन चुनावों को अभी भी पुनर्गठित नहीं किया जा सका है।

संशोधन की आवश्यकता

- संसद में किसी संवैधानिक संशोधन को स्वीकृति प्राप्त करनें के लिए, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में "विशेष बहुमत" की आवश्यकता होती है।
- संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार, इस विशेष बहुमत के लिए दो शर्तें पूरी होना आवश्यक है:
    - लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कम से कम आधे सदस्यों को, संशोधन के पक्ष में मतदान करना होगा।

- उपस्थित एवं मतदान करने वाले सभी सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई को, संशोधन का समर्थन करना होगा।

• इस चरण में, नगरपालिका चुनावों को बाहर करना व्यावहारिक है, क्योंकि ऐसा करने के लिए एक संशोधन की आवश्यकता होगी, जिसे भारत के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा "अनुमोदित" किया जाना चाहिए।

प्रस्तावित संशोधन एक साथ चुनाव कराने संबंधी रामनाथ कोविंद पैनल की सिफारिशों के अनुरूप हैं संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024

- इसका उद्देश्य, संविधान के 3 अनुच्छेदों में संशोधन करना और एक नया अनुच्छेद, अनुच्छेद 82A (1-6) को प्रस्तुत करना है।
- **अनुच्छेद 82A: एक साथ चुनाव के लिए प्रावधान:**
  - **खंड (1):** राष्ट्रपति, प्रस्तावित संशोधनों के प्रभावी होने की तिथि निर्धारित करेंगे, जो कि नव निर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक की तिथि के साथ संरेखित होगी।
  - **खंड (2):** नियत तिथि के बाद और वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व, निर्वाचित सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के पांच साल के कार्यकाल के अंत में समाप्त होगा। यह समायोजन एक साथ चुनाव को सक्षम करने के लिए, कुछ विधानसभाओं के कार्यकाल को छोटा कर सकता है।
  - **खंड (3):** भारत निर्वाचन आयोग (ECI), लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी होगा।
  - **खंड (4):** एक साथ चुनावों को लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए, एक साथ आयोजित आम चुनावों के रूप में परिभाषित किया गया है।
  - **खंड (5):** निर्वाचन आयोग यह निर्णय ले सकता है कि, विशिष्ट विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ नहीं कराए जा सकते। ऐसे मामलों में, निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति को यह सिफारिश कर सकता है कि, उन विधानसभा चुनावों को बाद की तिथि में कराया जाए।
  - **खंड (6):** यदि कोई विधानसभा चुनाव स्थगित कर दिया जाता है, तब भी उस विधानसभा का कार्यकाल नवनिर्वाचित लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने पर समाप्त हो जाएगा।

यदि कोई सरकार अपने पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले गिर जाती है, तो क्या होगा?

- **अनुच्छेद 83 में नए खंड को जोड़ना**: अनुच्छेद **83** में कहा गया है कि, राज्यसभा में इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं और लोकसभा का कार्यकाल **5** वर्ष निर्धारित होता है, जब तक कि इसे जल्दी भंग नहीं किया जाता है।
  - **नए खंड:** यदि लोक सभा अपने पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भंग हो जाती है**,** तो अगली लोक सभा केवल शेष अवधि के लिए होगी - "विघटन की तिथि और प्रथम बैठक की तिथि से पांच वर्ष के मध्य की अवधि।"
    - मध्यावधि चुनाव के बाद गठित नई लोकसभा को, पिछली लोकसभा का विस्तार नहीं माना जाता है।
    - विघटित सदन के लंबित विधेयक समाप्त हो जाएंगे**,** जैसा कि पूर्ण कार्यकाल समाप्त होने पर होता है।
- **अनुच्छेद 372 में संशोधन:** राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव
  - इस संशोधन में राज्य विधानसभा चुनावों के संबंध में, संसद की शक्तियों में "एक साथ चुनाव कराने" को जोड़ने का प्रस्ताव है।
  - यह संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव का प्रबंधन करने के लिए, संसद के अधिकार का विस्तार करता है।
- **अनुच्छेद 172 में संशोधन:** राज्य विधानसभा कार्यकाल समायोजन

- यदि किसी राज्य विधानसभा को उसके पांच वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भंग कर दिया जाता है, तो अगली विधानसभा पिछली विधानसभा के समाप्त न हुए कार्यकाल के केवल शेष भाग में ही कार्य करेगी।

केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024

- इस विधेयक का उद्देश्य तीन अधिनियमों में संशोधन करना है:
  - संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963
  - दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991
  - जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019
- इन परिवर्तनों का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेशों की विधायी प्रक्रियाओं को, एक साथ चुनाव के प्रावधानों के साथ संरेखित करना है।

एक साथ चुनाव के पक्ष में विभिन्न रिपोर्टें

- **भारत के चुनाव आयोग की पहली वार्षिक रिपोर्ट, 1983:** इस रिपोर्ट में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारणों से लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई:
  - **लागत बचत**: एक साथ चुनाव कराने से अलग-अलग चुनावों में होने वाले अनावश्यक प्रशासनिक खर्चों से काफी बचत होगी।
  - **कुशल मतदाता सूची अद्यतन**: मतदाता सूची पुनरीक्षण एक साथ करने से लागत में पर्याप्त बचत होगी और दक्षता में वृद्धि होगी।
  - **व्यवधान को कम करना**: एक साथ चुनाव कराने से चुनाव के दौरान लंबी अवधि के लिए बड़ी संख्या में नागरिक और पुलिस कर्मियों को तैनात करने से होने वाले व्यवधान में कमी आएगी।
  - **शासन को बढ़ाना**: एक साथ चुनाव का दृष्टिकोण अधिक स्थिर प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने में मदद करेगा, जिससे चुनाव अवधि के दौरान सामान्य सरकारी कार्यों और विकासात्मक कार्यों को दरकिनार होने से रोका जा सकेगा, जिससे अंततः आम जन को लाभ होगा।
- **भारत के विधि आयोग ने भी अपनी 170वीं रिपोर्ट (1999)** में एक साथ चुनाव की सिफारिश की थी।
- **2015** में कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर **संसदीय स्थायी समिति** ने अपनी **79**वीं रिपोर्ट में दीर्घकालिक सुशासन के लिए एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया था।
- जनवरी **2017** में, **नीति आयोग** ने "एक साथ चुनावों का विश्लेषण: क्या, क्यों और कैसे" शीर्षक से एक वर्किंग पेपर तैयार किया, जिसमें उसने एक साथ चुनावों के संचालन के लिए एक रूपरेखा तैयार की।

एक साथ चुनाव का औचित्य (उच्च-स्तरीय समिति की रिपोर्ट पर आधारित)

- **शासन में निरंतरता को बढ़ावा**: बार-बार चुनाव होने से राजनीतिक दलों, नेताओं और सरकारों का ध्यान शासन से हटकर चुनाव की तैयारी पर केंद्रित हो जाता है। एक साथ चुनाव होने से विकास और जन कल्याण पर निरंतर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा।
- **नीतिगत पंगुता को रोकता है**: चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का प्रवर्तन प्रशासन और कल्याण कार्यक्रमों को बाधित करता है। एक साथ चुनाव होने से एमसीसी प्रवर्तन की अवधि कम हो जाती है, जिससे शासन संबंधी व्यवधान कम हो जाते हैं।
- **संसाधन विचलन को कम करता है**: बार-बार होने वाले चुनावों में चुनाव कर्तव्यों के लिए महत्वपूर्ण कर्मियों और संसाधनों की आवश्यकता होती है। एक साथ चुनाव कराने से बार-बार तैनाती की आवश्यकता कम हो जाएगी, जिससे अधिकारी मुख्य जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।
- **क्षेत्रीय दल की प्रासंगिकता को बनाए रखता है**: एक साथ चुनाव होने से क्षेत्रीय दलों को स्थानीय मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल तलाश करने में सहायता मिलती है। यह सुनिश्चित करता है कि क्षेत्रीय आवाजों की प्रासंगिकता को बनाए रखते हुए क्षेत्रीय चिंताओं को राष्ट्रीय अभियानों पर हावी न किया जाए।

- **राजनीतिक अवसरों को बढ़ाता है**: एक साथ चुनाव राजनीतिक दलों के भीतर विविध नेताओं के लिए अधिक अवसर पैदा करते हैं। इससे कुछ नेताओं का प्रभुत्व कम हो जाता है और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समावेशिता को बढ़ावा मिलता है।.
- **शासन पर ध्यान**: चल रहे चुनाव दलों का ध्यान शासन से भटकाते हैं। चुनावों को एक साथ कराने से जनता की जरूरतों को पूरा करने, संघर्षों और आक्रामक प्रचार को कम करने के लिए अधिक समय मिलेगा।
- **वित्तीय बोझ कम करता है**: जनशक्ति, सुरक्षा और रसद के मामले में कई चुनाव महंगे होते हैं। एक साथ चुनाव होने से खर्च व्यवस्थित होते हैं, जिससे राजकोषीय प्रबंधन और आर्थिक दक्षता बेहतर होती है।.

एक साथ चुनाव के विरोध में तर्क

- **समन्वय स्थापित करना कठिन**: भारत जैसे विविध लोकतंत्र में समकालिक चुनावों को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, विशेषकर यदि सरकारें अपनी विधानसभाओं में विश्वास खो देती हैं।
- **मतदाता व्यवहार पर प्रभाव**: एक साथ चुनाव कराने से मतदाता राष्ट्रीय और राज्य के मुद्दों को लेकर भ्रमित हो सकते हैं, जिससे संभावित रूप से राज्य चुनावों की विशिष्टता कम हो सकती है।
- **क्षेत्रीय दलों पर प्रभाव**: एक साथ चुनाव होने से बड़ी राष्ट्रीय दलों को फायदा हो सकता है, जिससे क्षेत्रीय दलों को नुकसान हो सकता है।
- **जवाबदेही**: नियमित चुनाव सरकारों को लोगों की इच्छा के प्रति उत्तरदायी रहने के लिए मजबूर करते हैं। वापस बुलाने के डर के बिना निश्चित शर्तें जवाबदेही की कमी और अधिक निरंकुश प्रवृत्ति को जन्म दे सकती हैं।
- **संवैधानिक और संघवाद संबंधी चिंताएँ**: एक साथ चुनाव लागू करने के लिए संविधान में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है और संभावित रूप से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की संघीय प्रकृति का उल्लंघन हो सकता है।

त्रिशुंक संसद क्या है ?

- जब कोई भी दल या चुनाव पूर्व गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल करने में सक्षम नहीं होता है, तो इससे त्रिशंकु संसद की स्थिति बनती है।
  - लोकसभा में सीटों की कुल संख्या 543 है।
  - सरकार बनाने के लिए किसी दल या गठबंधन को 50% से ऊपर एक सीट या 272 सीटें जीतने की ज़रूरत होती है।
  - यदि वह ऐसा करने में असमर्थ है, तो राष्ट्रपति सदन का विश्वास हासिल करने के प्रयास के लिए सदन में सबसे बड़े दल/गठबंधन के नेता को आमंत्रित कर सकते हैं।
  - विकल्प के तौर पर, राष्ट्रपति ऐसे दलों के गठबंधन को आमंत्रित कर सकते हैं, जो उनकी राय में, सदन में बहुमत हासिल करने की स्थिति में हों।

एक साथ चुनाव पर अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

दक्षिण अफ्रीका	• दक्षिण अफ्रीका में **नेशनल असेंबली, प्रांतीय विधानमंडल और नगर परिषदों के लिए पांच साल के चक्र में चुनाव** होते हैं। • राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनावी प्रणाली **"पार्टी-सूची आनुपातिक प्रतिनिधित्व"** पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि पार्टियों को चुनावी समर्थन के अनुपात में प्रतिनिधित्व किया जाता है।
स्वीडन	• स्वीडन की **काउंटी परिषदों और नगर परिषदों** के चुनाव आम चुनावों (हर चार साल में रिक्सडैग के चुनाव) के साथ-साथ होते हैं। • जबकि, **नगर निगम विधानसभाओं** के चुनाव आम तौर पर हर पांच साल के बाद सितंबर के दूसरे रविवार को होते हैं।

बेल्जियम	• बेल्जियम में कोई भी **व्यक्ति पांच अलग-अलग प्रकार के चुनावों में मतदान कर सकता** है। • **संघीय संसद के चुनाव आम** तौर पर हर पांच साल में होते हैं, जो यूरोपीय (और परिणामस्वरूप क्षेत्रीय) चुनावों के साथ भी होते हैं।

स्रोत:

- **इंडियन एक्सप्रेस: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक की व्याख्या**
- **पीआईबी: एक राष्ट्र, एक चुनाव**